राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 5

क्रमांकः ए.2(6)503/2012/1020
दिनांकः फरवरी 26, 2014

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(31)साप्र/3/82 दिनांक 14.8.2014 के अनुसरण में निगम प्रबन्ध द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ए.2(7)9/88(3)/05 दिनांक 28.2.2008 के अधिक्रमण में संलग्न शर्तों के अनुरूप निम्न अधिकारियों को उनके निवास पर बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट+ब्राडबेन्ड सुविधा सम्मिलित कर तुरन्त प्रभाव से एकमुश्त राशि के भुगतान की मासिक वित्तीय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

क्र. सं.	पदनाम	मासिक वित्तीय सीमा (रूपये में)
1.	अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक	9750.00
2.	अधिशाषी निदेशक	6750.00
3.	सलाहकार/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक	5250.00
4.	अतिरिक्त महाप्रबन्धक/वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता	3750.00
5.	उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/इकाई प्रभारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी/विशेषाधिकारी/प्रबन्धक/उप नगर नियोजक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधिशाषी अभियन्ता	2625.00

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित सीमा में देय सुविधाएं यथावत रहेंगी।

उक्त सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार की सहमति व प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

सलाहकार (ए. एण्ड एम.)

प्रतिलिपिः
1. समस्त नियंत्रण अधिकारी/समस्त इकाई प्रभारी/समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
2. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक (बिल्स/एच.आर.डी./जी.ए.डी.)
3. कार्यालय आदेश पत्रावली

प्रतिलिपि को भीः
1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष
2. निजी सचिव. प्रबन्ध निदेशक
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 5

क्रमांकः ए.2(6)503/2012/1019
दिनांकः 26 फरवरी, 2014

कार्यालय आदेश

निगम प्रशासन के पूर्व में जारी आदेशों के अधिक्रमण में निगम में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी–।, अनुभागाधिकारी, अति. निजी सचिव, सहायक लेखाधिकारी–।।, शाखा प्रभारी, व निजी सहायक को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निवासीय टेलीफोन/रीको के सी.यू.जी. प्लान के अन्तर्गत बी.एस.एन.एल. पोस्ट पेड मोबाईल के बिलों के पुनर्भरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तों के साथ उपलबध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः

क्र. सं.	पदनाम	नई दरें (प्रतिमाह)
1.	सहायक लेखाधिकारी ।/अनुभागाधिकारी/अति. निजी सचिव	600.00
2.	सहायक लेखाधिकारी–।।/शाखा प्रभारी/निजी सहायक	450.00

शर्तें

1. निवासीय टेलीफोन अथवा बी.एस.एन.एल. का पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम से होगा तथा मोबाईल हैण्डसेट एवं निवासीय टेलीफोन का यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाईल फोन पर उपरोक्तानुसार वर्णित सीमा पर ही बिलों को पुनर्भरण निगम से देय होगा तथा वास्तविक व्यय कम होने पर पुनर्भरण वास्तविक व्यय सीमा तक ही देय होगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन की जावेगी। निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाईल फोन पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय का पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा।
3. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुनर्भरण के लिये मूल बिल एवं बिल जमा की रसीद विधिवत् रूप से सत्यापित कर वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक (बिल्स)/लेखा शाखा को सीधे ही प्रेषित की जावेगी।
4. पूर्व में जिन वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक को विशेष परिस्थिति में मोबाईल/लैण्डलाईन के बिल पुनर्भरण की जो सीमा स्वीकृत है वह यथावत रहेगी।

(श्याम लाल गुर्जर)
सलाहकार (ए. एण्ड एम.)

प्रतिलिपिः

1. समस्त सम्बन्धित कर्मचारी
2. समस्त नियंत्रक अधिकारी/इकाई प्रभारी
3. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक (बिल्स/एच.आर.डी./जी.ए.डी.)
4. सम्बन्धित पत्रावली

प्रति सूचनार्थः

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक
3. अति. निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक

रीको अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट+ब्राड बैण्ड) पर निर्धारित शर्तों का विवरण

1. प्रस्तावित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाइल फोन काल्स रोमिंग सहित/ इन्टरनेट/ब्राडबैण्ड सुविधायें सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा।
2. अधिकारी स्वीकृत वित्तीय सीमा तक एक मोबाईल फोन (बी.एस.एन.एल. के सीयूजी प्लान) एवं एक लैण्ड लाईन तथा टेलीफोनिक इन्टरनेट सुविधा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी टेरिफ प्लान के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। इण्टरनेट/ब्राड बैण्ड, लैण्ड लाईन के साथ अथवा ब्राड बैण्ड कार्ड के माध्यम से भी ली जा सकती है। सिर्फ ब्राड बैण्ड/इण्टरनेट के लिए भी पृथक टेलीफोन कनेक्शन लिया जा सकता है। अधिकारीगण को मोबाइल फोन/ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा मोबाइल फोन नहीं लेने पर रूपये 750/– प्रतिमाह व ब्राड बैण्ड नहीं लेने पर रूपये 750/– प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा में से स्वतः कम होकर शेष राशि ही देय होगी यानि कोई अधिकारी यदि ब्रोड बैण्ड इन्टरनेट/मोबाईल का उपयोग नहीं करता है तो इसके पेटे रूपये 1500/– प्रतिमाह वित्तीय सीमा में से स्वतः कम हो जायेंगे।
3. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हो तो उसका भुगतान इस शर्त के साथ कर दिया जायेगा कि अधिक व्यय की राशि का प्रथमतः समायोजन आगामी माहों में होने वाली बचत से किया जायेगा।
4. निगम द्वारा निर्धारित सीमा तक के बिलों का पुनर्भरण मूल रसीद एवं मूल बिल प्रेषित करने पर किया जायेगा।
5. अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टेलीफोनिक सर्विस के बिल का भुगतान करने के उपरान्त निर्धारित वित्तीय सीमा तक की राशि का पुर्नभरण मूल बिल एवं भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे। बिल के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित लिखा जाना पर्याप्त होगा। निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा सत्यापित बिल मान्य नहीं होगा।
7. निगम द्वारा मोबाईल हैण्ड सेट/टेलीफोन यंत्र/मोडम उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा तथा न ही इनके क्रय पर किये व्यय का पुर्नभरण होगा।
8. प्रत्येक अधिकारी हेतु श्रेणीवार जो मासिक वित्तीय सीमा अनुज्ञेय है इस वित्तीय सीमा में सरचार्ज राशि सम्मिलित है टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान हमेशा यथासमय हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। लेकिन अधिकारी के द्वारा विलम्ब करने से कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है जो रिकनेक्शन चार्जेज का भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।

9. निगम सेवा में पति/पत्नि के होने की स्थिति में दोनों उक्त सुविधा का पृथक पृथक उपयोग कर सकेंगे।
10. जिन अधिकारियों के निवास पर स्वयं/स्पाउस के नाम से टेलीफोन स्थापित है, उन्हें सामान्य प्रशासन प्रकोष्ठ की पूर्वानुमति प्राप्त करने पर भुगतान/पुनर्भरण देय होगा।
11. अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर बकाया अनुज्ञेय सीमा राशि समाप्त मानी जायेगी। यह सुविधा उन्हीं अधिकृत अधिकारियों को देय होगी जिनके लिये स्वीकृति सक्षम स्तर पर पूर्व में प्राप्त है।
12. निगम अधिकारियों को एक माह से छः माह अवकाश पर रहने की स्थिति में बेसिक टेलीफोन का केवल रेन्ट/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्राडबैण्ड) का प्लान चार्जेज का भुगतान देय होगा तथा छः माह पश्चात् बेसिक टेलीफोन/मोबाईल व इन्टरनेट (ब्राडबैण्ड) के बिल की राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निजी तौर पर वहन किया जायेगा।
13. कोई अधिकारी अगर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहता है अथवा निलम्बित रहता है तो उसे कोई टेलीफोन की सुविधा देय नहीं होगी।
14. उक्त आदेश में वर्णित वर्गीकृत श्रेणी अनुसार वित्तीय सीमा मोबाइल ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट के लिये तभी अनुज्ञेय होगी जबकि उस पद हेतु बेसिक टेलीफोन स्वीकृत है।
15. किसी भी निजी टेलीफोन का सामान्य प्रशासन प्रकोष्ठ की पूर्व स्वीकृति के बिना सीधे भुगतान नहीं होगा। आहरण व वितरण अधिकारी ऐसे टेलीफोन बिल भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे।
16. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अन्तर्गत रोमिंग (नेशनल), एस.टी.डी. प्लान, वैल्यू एडेड सर्विसेज, एस.एम.एस., लेट फीस, आदि सभी चार्जेज अनुज्ञेय होंगे।